छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27/2/25

क्रमांक/48/03/04/योजना/बीओसी/2025/165 :– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित सामग्री मूलक योजनाओं के संबंध में संचालक मंडल के पंचम कार्यकाल के द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :–

1. **"मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना"**– अधिसूचना क्रमांक/2012/19 दिनांक 27.11.2012

(अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (iv) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जाता है :–

(iv) सायकल हेतु मंडल द्वारा निर्धारित दर –
महिला निर्माण श्रमिक को राशि रूपये – 3706/– तथा
पुरूष श्रमिक को राशि रूपये 3697/– देय होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता के बिन्दु क्रमांक (i) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

बिन्दु कमांक (i) यह योजना निर्माण महिला श्रमिक जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, को स्वयं के लिए निवास से कार्यस्थल पर जाने–आने के लिए प्रदाय किया जावेगा।

के स्थान पर –

"यह योजना निर्माण श्रमिक जो 01 वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो, को स्वयं के लिए निवास से कार्यस्थल पर जाने–आने के लिए प्रदाय किया जावेगा।"

2. **"मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना"**– अधिसूचना क्रमांक/2012/11 दिनांक 27.11.2012 एवं अधिसूचना क्रमांक/105/48/03/04/योजना/बीओसी/2020 दिनांक 02.03.2020

(अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (iv) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जाता है :–

(iv) सिलाई मशीन हेतु मंडल द्वारा निर्धारित दर– राशि रूपये 7900/– देय होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता के बिन्दु क्रमांक (ii) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

बिन्दु कमांक (ii) पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की पंजीयन की अवधि 90 दिन पूर्ण हो चुकी हो।

के स्थान पर –

"महिला निर्माण श्रमिक, जो 01 वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो, योजनांतर्गत लाभ हेतु पात्र होंगे।"

निरंतरित.....2

3. **"मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना"**– अधिसूचना क्रमांक एफ 10–30/2010/16 रायपुर दिनांक 01.10.2010

(अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (iv) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जाता है :–

(iv) औजार किट हेतु मंडल द्वारा निर्धारित दर निम्नानुसार देय होगाः–

क्रमांक	औजार किट का नाम	सहायता राशि
1	रेजा कुली किट	राशि रूपये 3449/–
2	प्लंबर किट	राशि रूपये 9860/–
3	कारपेंटर टूल किट	राशि रूपये 4537/–
4	राजमिस्त्री किट	राशि रूपये 3622/–
5	पेंटर टूल किट	राशि रुपयें 2905/–
6	इलेक्ट्रीशियन टूल किट	राशि रूपये 1197/–

(ब) योजना हेतु पात्रता के बिन्दु क्रमांक (i) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

बिन्दु क्रमांक (i) यह योजना निर्माणी श्रमिक जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, प्रदाय किया जावेगा।

के स्थान पर –

"निर्माण श्रमिक जो 01 वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो योजनांतर्गत लाभ हेतु पात्र होंगे।"

4. **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना"**– अधिसूचना क्रमांक 51 दिनांक 02.02.2017

(ब) योजना हेतु पात्रता के बिन्दु क्रमांक (ii) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

बिन्दु क्रमांक (ii) हितग्राही पंजीयन के 90 दिन पश्चात् लाभ लेने हेतु पात्र होगें।

के स्थान पर –

"01 वर्ष पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजनांतर्गत लाभ हेतु पात्र होगे।"

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)
उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(गिरीश कुमार रामटेके)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

निरंतरित.............................3

पृष्ठां0 क्रमांक / 48 / 03 / 04 / योजना / बीओसी / 2025 / 489   अटल नगर, दिनांक 27/2/25

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन, खण्ड—03, व्दितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड—03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31 / 520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
6. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
8. समस्त, जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
9. समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
10. समस्त उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
11. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में **निःशुल्क** प्रकाशन हेतु।
12. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि, कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
13. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
14. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
15. गार्ड फाईल।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21/06/2024

क्रमांक/41/04/योजना/बीओसी/2024/ 154 :– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना"** के संबंध में संचालक मंडल के षष्ठम कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 51 दिनांक 02.02.2017 के कण्डिका (अ) योजना के प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (ii) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :–

मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना :–

कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (ii) में आंशिक संशोधन किया जाता है :–

(अ)(ii) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत् प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हेलमेट, जूता, दस्ताना, सेफ्टी किट एवं मास्क हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर अथवा रूपये 1500/– जो भी कम हो, हितग्राही द्वारा उक्त सामग्री स्वयं के व्यय के क्रय पश्चात् देयक सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा के **स्थान पर** –

> **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत् प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हेलमेट, जूता, दस्ताना, सेफ्टी किट एवं मास्क हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर अथवा रूपये 1500/– जो कम होगा मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।"**

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)
उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

21/6/2024

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृष्ठां0 क्रमांक / 41 / 04 / योजना / बीओसी / 2024 / 1897–1913 **अटल नगर, दिनांक** 21/06/2024

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन, खण्ड–03, व्दितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड–03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31 / 520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. समस्त, जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
12. समस्त उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में **निःशुल्क** प्रकाशन हेतु।
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि, कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
16. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने वावत्।
17. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

21/6/2024

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी–3, सी 244–245, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर 27, नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 02/02/17

क्रमांक 51 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिये संचालित मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को शिथिल करते हुये निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है:–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना"** होगा।

(ii) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को हेलमेट, जूता, दास्ताना, सेफटी जैकेट एवं मास्क हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर अथवा रूपये 1,500/– जो भी कम हो, हितग्राही द्वारा उक्त सामग्री स्वयं के व्यय से क्रय पश्चात् देयक सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

(iii) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ एक बार प्रदाय किया जावेगा।

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(ब) <u>योजना हेतु पात्रता</u> :–

(i) योजना के तहत् पंजीकृत निर्माण श्रमिक को लाभ की पात्रता होगी।

(ii) हितग्राही पंजीयन के 90 दिन पश्चात् लाभ लेने हेतु पात्र होगे ।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया–

(i) योजना के तहत आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

(ii) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कापी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iii) योजना के आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा ।

(iv) योजना के तहत ऑन लाईन आवेदन करते समय, का नंबर, बैंक पासबुक, स्वयं का मोबाईल नंबर, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(v) आधार कार्ड नंबर देने की सहमति नियमानुसार देय होगा ।

(द) स्वीकृति का अधिकार–

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृती की जावेगी ।

(ई) विसंगति का निराकरण–

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृष्ठांकन क्र......2226 – 2236 रायपुर, दिनांक 02/02/17

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर
5. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/प्रभारी श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
9. लेखा शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
10. एन आई सी शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
11. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2/2/2017

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
पी0 3सी0, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक......37...... दिनांक 26/9/15 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 33 दिनांक 24–08–2013 **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर हेलमेट सहायता योजना"** को विलोपित करते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु निम्नानुसार योजना बनाती है :–

(अ) **योजना का प्रावधान :–**

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना"** होगा।

(ii) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को हेलमेट, जूता, दास्ताना, सेफ्टी जैकेट एवं मास्क हेतु सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर अथवा रूपये 1,500/– जो भी कम हो, मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

(iii) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दो वर्ष में एक बार योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(ब) **योजना हेतु पात्रता :–**

योजना के तहत् प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को लाभ की पात्रता होगी।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया–**

(i) आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को On-line जमा किए जायेंगे।

(द) स्वीकृति का अधिकार–

योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी को होगा।

(ई) विसंगति का निराकरण–

योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का मिर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

26/9/2015

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

पृष्ठांकन क्र. 10174-10180
रायपुर, दिनांक 26/09/2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, (BOCWWB) छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त सह सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)
4. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
5. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी........................ ....(छ0ग0)
7. आदेश पत्रिका में संकलनार्थ प्रस्तुत।

26/9/2015

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

...गैरेज के पीछे, जगभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

कार्यालय, श्रम आयुक्त
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर
आवक 7190
दिनांक 26 AUG 2013
शाखा VII

अधिसूचना

दिनांक 24/08/2013

क्रमांक.....33.............. "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है –

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर हेलमेट सहायता योजना"** होगा।

(ii) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर हेलमेट सहायता योजना के तहत प्रदेश के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को हेलमेट प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) योजना के तहत प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को लाभ की पात्रता होगी।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया–

(i) आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/नगर निगम आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जायेंगे।

(द) **स्वीकृति का अधिकार–**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा।

(ई) **विसंगति का निराकरण–**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में जिला कलेक्टर तथा सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

21/8/2013

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

पृष्ठांकन क्र0 / / 1105-1117/33 रायपुर, दिनांक 21/08/13

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
8. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
9. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)

10. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/प्रभारी श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)

11. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)

12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका ....कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ....

13. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

24/8/2013

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर